कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या – प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊ: दिनांक: 15–5–2019

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अखिल भारतीय [illegible] शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय [illegible] संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ [illegible] सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14–6–2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा [illegible], लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019–20 हेतु [illegible] नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/[illegible] हेतु सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–10 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम [illegible] सम्बद्धता समिति द्वारा [illegible] निर्णय लिया गया

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था जिनकी प्रवेश क्षमता में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2019–20 में विस्तार किया गया है, एवं पी0सी0आई0 द्वारा ऐसी संस्थाओं को सत्र 2018–19 से ही प्रवेश क्षमता वृद्धि में अनुमोदन प्राप्त है, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2019–20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त प्रवेश क्षमता के अनुसार ही परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

[illegible] संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय [illegible] द्वारा सत्र 2019–20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम [illegible] प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता [illegible] की जाती है:–

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद [illegible] 2019–20 [illegible] अनुमोदित [illegible] प्रवेश क्षमता
[illegible]	[illegible]	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- [illegible] ए0आई0सी0टी0ई0 [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली [illegible] निर्मित नियमों [illegible] अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क [illegible] पाठ्यक्रम [illegible] प्रतिवर्ष की बजाय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0– 45[illegible] प्रतिवर्ष [illegible] फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु [illegible] अतिरिक्त [illegible] प्रभावी होगी और तदनुसार [illegible] आवश्यक होगा [illegible] समिति द्वारा [illegible] सत्र 2019–20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण [illegible]

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

[illegible]

कार्यालय ज्ञाप

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] सत्र 2020-21 हेतु [illegible] सम्बद्धता समिति की बैठक [illegible] निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित [illegible] वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से [illegible] सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उनके संचालन अनुमोदन [illegible] संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त [illegible] विवरण के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता [illegible] सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने [illegible] विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विवरण के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक [illegible] 2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] द्वारा [illegible] निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित [illegible] हेतु सम्बद्धता विस्तार [illegible] जाता है :-

क्रम सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	वीर विक्रम फार्मेसी कॉलेज ग्राम-[illegible], [illegible]पुर	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- [illegible] पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित [illegible] शर्तों का [illegible]
- [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] नियमावली-2018 [illegible] निर्धारित शुल्क [illegible] फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- [illegible] /- [illegible] रू0- [illegible] /- [illegible] शुल्क [illegible] प्राप्त किये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त [illegible] शुल्क [illegible]

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 09/08/2021

संख्या:- प्राशिप/परिषद [illegible]/2021/3637

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा [illegible] तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से [illegible] सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08.08.2021 को [illegible] में सम्बद्धता समिति की बैठक [illegible] हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं [illegible] पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार कर [illegible] 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 1667-VEERVIJAY PHARMACY COLLEGE, VILL-FATEHPUR BHADON, POST-CHHUTTMALPUR, SAHAARANPUR

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियम [illegible] 1962 [illegible] विनियमावली-2016 [illegible] निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय [illegible] पाठ्यक्रम हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष [illegible] तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष [illegible] प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में [illegible] पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना [illegible] शुल्क निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु [illegible] किया जाता है [illegible] लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा [illegible] तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया [illegible] विनियमावली-2001 [illegible] का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश [illegible] परिषद [illegible] आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त [illegible] निदेशालय [illegible] ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को [illegible] शासनादेश [illegible] के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा [illegible] होगा।